भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2309

सोमवार, 8 जुलाई, 2019/17 आषाढ़, 1941 (शक)

खतरनाक व्यवसाय में बाल मजदूर

2309. श्री जगदम्बिका पाल:
श्री गौतम गंभीर:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन प्रक्रियाओं सहित व्यवसायों/उद्योगों जिन्हें बाल मजदूरों के लिए खतरनाक अधिसूचित किया गया है उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) गत दस वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश के विभिन्न भागों में ऐसे व्यवसायों में मारे गए बच्चों सहित कार्यरत बच्चों की वर्ष-वार और राज्य-वार लगभग संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने गत पांच वर्षों के दौरान उक्त खतरनाक उद्योगों में कार्य संबंधी मौतों की संख्या का कोई आंकलन किया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अविध् के दौरान जिन बच्चों को बचाया गया है और उनका पुनर्वास किया गया है की संख्या कितनी है; और

(ङ) सरकार द्वारा उक्त उद्योगों में बाल कामगारों को कार्य पर नहीं लगाने की प्रथा को नियंत्रित करने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): बाल श्रमिकों के लिए जोखिमपूर्ण प्रक्रियाओं सहित व्यवसायों/उद्योगों का विवरण अनुबंध-I और अनुबंध-II पर दिया गया है।

(ख): इस संबंध में सूचना केन्द्रीय रूप में नहीं रखी जाती है।

(ग): जी नहीं।

(घ): राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना (एनसीएलपी) स्कीम के अंतर्गत स्थापित जिला परियोजना सोसायटियों से प्राप्त सूचना के अनुसार, पिछले पांच वर्षों के दौरान बाल श्रम के सभी स्वरूपों से कुल 320488 बच्चे छुड़ाए गए, और उनका पुनर्वास कराया गया तथा औपचारिक शिक्षा पद्धति की मुख्यधारा में लाया गया।

राज्य सरकारों/संघ राज्य-क्षेत्र के प्रशासनों से प्राप्त सूचना के अनुसार, बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के संबंध में पिछले पांच वर्षों में किए गए निरीक्षणों के दौरान पता लगाए गए उल्लंघनों की संख्या, आरंभ किए गए अभियोजनों की संख्या तथा की गई अपराध-सिद्धियों की संख्या नीचे दी गई है:-

वर्ष	उल्लंघन	अभियोजन	अपराध-सिद्धियां
2014	5595	2923	998
2015	4319	2481	748
2016	3993	1730	677
2017	1691	1276	695
2018	942	624	586
कुल	16540	9034	3704

(ङ): बाल श्रम गरीबी, आर्थिक पिछड़ापन और निरक्षरता जैसी विभिन्न सामाजिक-आर्थिक समस्याओं का परिणाम है। केन्द्रीय सरकार ने प्रतिबंध के बावजूद देश के विभिन्न भागों में चल रही बाल श्रम की प्रथा का संज्ञान लिया है तथा देश के सभी भागों से बाल श्रम की समस्या को हटाने के लिए प्रतिबद्ध है।

बाल श्रम के उन्मूलन के लिए, सरकार ने बाल श्रमिक (प्रतिषेध एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 का अधिनियमन किया है जो 1.9.2016 से लागू हुआ। इस संशोधन अधिनियम में अन्य बातों के साथ-साथ किसी भी व्यवसाय और प्रक्रिया में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों तथा जोखिमपूर्ण व्यवसायों और प्रक्रियाओं में 14 से 18 वर्ष के आयु समूह के किशोरों के काम या नियोजन के पूर्ण निषेध का प्रावधान है। इस संशोधन में अधिनियम के उल्लंघन पर नियोजकों के लिए कड़े दण्ड का भी प्रावधान है तथा अपराध को संज्ञेय बनाया गया है।

सरकार बाल श्रमिकों के पुनर्वास हेतु 1988 से राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना(एनसीएलपी) स्कीम का कार्यान्वयन कर रही है। एनसीएलपी स्कीम के अंतर्गत, 9-14 वर्ष के आयु समूह के बच्चों को काम से मुक्त कराया/छुड़ाया जाता है और एनसीएलपी विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों में नामांकित किया जाता है, जहाँ उन्हें औपचारिक शिक्षा पद्धति की मुख्यधारा में लाए जाने से पहले समायोजी शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मध्याह्न भोजन, वजीफा, स्वास्थ्य देखरेख, आदि प्रदान की जाती है। 5-8 वर्ष के आयु समूह के बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान(एसएसए) के निकट समन्वय के माध्यम से सीधे औपचारिक शिक्षा पद्धति से जोड़ा जाता है। बाल श्रम अधिनियम के उपबंधों का प्रभावी प्रवर्तन और राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) स्कीम का सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए 26.9.2017 से एक पृथक ऑनलाइन पोर्टल पेन्सिल(पीईएनसीआईएल) (बाल श्रम मुक्ति के प्रभावी प्रवर्तन हेतु मंच) का सूत्रपात किया गया है।

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2 (14) (ii) के अनुसार, फिलहाल लागू श्रम कानूनों के उल्लंघन में जीवन-यापन करता हुआ पाया गया कोई बच्चा 'देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे' के रूप में शामिल किया जाता है, किशोर न्याय अधिनियम, 2015 में इन बच्चों को संस्थागत और गैर-संस्थागत देखरेख प्रदान करने के लिए सेवा प्रदानगी संरचनाओं का सुरक्षा आवरण अधिदेशित है। अधिनियम के कार्यान्वयन का मुख्य दायित्व, वस्तुतः, राज्य/संघ राज्य-क्षेत्रों पर है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कठिन परिस्थितियों में फंसे बच्चों की देखरेख, सुरक्षा, पुनर्वास और पुनर्गठन के लिए 'बाल संरक्षण सेवाएं' (सीपीएस) (पूर्व में एकीकृत बाल संरक्षण स्कीम) का कार्यान्वयन कर रहा है। सीपीएस के अंतर्गत, राज्य सरकारों/संघ राज्य-क्षेत्र के प्रशासनों को कठिन परिस्थितियों में फंसे बच्चों के स्थितिपरक विश्लेषण कराने के साथ-साथ विभिन्न प्रकार की बाल देखरेख संस्थाओं (सीसीआई) की स्थापना और अनुरक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

**

****

अनुबंध-I

जोखिमपूर्ण व्यवसायों में बाल श्रमिकों के संबंध में श्री जगदम्बिकापाल और श्री गौतम गंभीर द्वारा दिनांक 08.07.2019 को पूछे जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2309 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

जोखिमकारी व्यवसाय तथा प्रक्रियाएं जिनमें किशोरों का काम करना तथा बच्चों का मदद करना निषेध है

(1) खानें और कोलियरी (भूमिगत तथा जलमग्न) तथा इनसे संबंधित कार्य,

(i) पत्थर खानें;

(ii) ईंटों की भट्ठियां;

(iii) इनकी तैयारी तथा प्रासंगिक प्रक्रियाओं जिनमें पत्थर या चूना या स्लेट या सिलिका या भूमि से उत्कर्षित कोई अन्य तत्व अथवा खनिज का खनन, पिसाई, कटाई, विपाटन, पोलिश करना तथा प्रहस्तन शामिल है; अथवा

(iv) खुले गड्ढे की खानें।

(2) **ज्वलनशील पदार्थ तथा विस्फोटक जैसे-**

(i) पटाखों का उत्पादन, भण्डारण या बिक्री;

(ii) विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) के अंतर्गत परिभाषित विस्फोटकों का उत्पादन, संग्रहण, बिक्री, लादना, उतरना; अथवा

(iii) उत्पादन, प्रहस्तन, पिसाई, चमकाना, कटाई, पोलिश, वेल्डिंग, सांचे में ढालना, इलेक्ट्रो प्लेटिंग से संबंधित कार्य तथा अन्य कोई प्रक्रिया से संबंधित कार्य जिसमें ज्वलनशील पदार्थ हों; अथवा

(iv) ज्वलनशील पदार्थों, विस्फोटकों तथा उनके उप-उत्पादों का अपशिष्ट प्रबंधन;

(v) प्राकृतिक गैस तथा अन्य संबंधित उत्पाद।

कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट जोखिमकारी प्रक्रियाएं (क्रम संख्या (3) से(31) निम्नांकित हैं:-

(3) लौह धातुकर्म उद्योग

(i) एकीकृत लौह और इस्पात;

(ii) लौह-मिश्र धातु

(iii) विशेष इस्पात

(4) अलौह धातुकर्म उद्योग : प्राथमिक धातुकर्म उद्योग, नामत: जस्ता, सीसा, तांबा, मैंगनिज और अल्मुनियम ।

(5) ढलाईखाना (लौह और अलौह) **:** कास्टिंग और फोर्जिंग सहित सफाई करना अथवा चिकना करना अथवा रेत और शॉट ब्लास्टिंग द्वारा खुरदरा बनाना

(6) कोयला (कोक सहित) उद्योग :

(i) कोयला, लिग्नाहट, कोक, इसी प्रकार के अन्य पदार्थ;

(ii) इंधन केसेस (कोयला गैस, उतपादक गैस, जल गैस सहित)

(7) विद्युत उत्पादन उद्योग

(8) लुगदी और कागज (कागज उत्पाद सहित) उद्योग

(9) उर्वरक उद्योग

(i) नाइट्रोजनयुक्त

(ii) फॉस्फेटिक

(iii) मिश्रित

(10). सीमेंट उद्योग: पोर्टलैंड सीमेंट (लावा सीमेंट, पॉजजोलाना सीमेंट और उनके उत्पादों सहित)

(11) पैट्रोलियम उद्योग:

(i) तेल शुद्धिकरण परिष्करण

(ii) स्नेहन तेल और ग्रीस

(12) पेट्रो-रसायन उद्योग

(13) दवा और औषधीय उद्योग-मादक दवाएं, औषधियां और फार्मास्यूटिकल्स

(14) किण्वन उद्योग (डिस्ट्रलरीज एवं ब्रेवरीज)

(15) रबर (सिंथेटिक उद्योग)

(16) पेंट और पिगमेण्ट उद्योग

(17) चमड़ा उद्योग

(18) इलैक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग

(19) रासायनिक उद्योग

(i) कोक ओवन उप उत्पाद और कोलतार आसवन उत्पाद,

(ii) औद्योगिक गैसें (नाइट्रोजन, आक्सीजन, एसेटेलिन, ओर्गन, कार्बन डाईआक्साइड, हाइड्रोजन, सल्फर डाइआक्साइड, नाइट्रस आक्साइड, हैलोजेनेटेड हाइड्रोकार्बन, ओजोन, ऐसी अन्य गैस;)

(iii) औद्योगिक कार्बन

(iv) क्षार और अम्ल

(v) क्रोमेट्स और डीक्रोमेटस;

(vi) शीशा और इसके यौगिक पदार्थ

(vii) इलैक्ट्रो रसायन (मेटेलिक सोडियम, पोटैशियम ओर मैग्नेशियम, क्लोरेट्स, पराक्लोरेट्स और पैरोक्साइड्स)

(viii) इलेक्ट्रोथरर्मल उत्पाद (कृत्रिम अपघर्षक), कैलशियम कारबाइड)

(ix) नाइट्रोजन कम्पाउड (साइनाइड, साइनामाइड्स और नाइट्रोजन यौगिक पदार्थ

(x) फोरफोरस ओर इसके यौगिक पदार्थ;

(xi) हेलोजन्स और हेलोजीकृत यौगिक पदार्थ (क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन)

(xii) विस्फोटक पदार्थ (औद्योगिक विस्फोटको और डिटोनेटर और फ्यूज सहित)

(20) कीट नाशक, कवकनाशी, शाकनाशक और अन्य कीटनाशक दवाईयों के उद्योग

(21) संश्लेषित रेसिन और प्लास्टिक

(22) मानव निर्मित फाइवर (सेल्यूलोसिक और गैर सैल्यूलोसिक)उद्योग

(23) विद्युत एक्यूम्यूलेटरों का विनिर्माण और मरम्मत

(24) शीशा ओर सिरेमिक

(25) धातुओं की घिसाई या चमकाना

(26) एसबेसटोस और इसके उत्पादों का विनिर्माण, प्रहस्तन और प्रसंस्करण

(27) वानस्पतिक और पशु स्त्रोतों से तेल और वसा की निकासी।

(28) बेनजीन और बेनजीन निहित पदार्थों का विनिर्माण , प्रहस्तन और प्रयोग

(29) कार्बन डाईसल्फाइट में संबंधित विनिर्माण, प्रक्रिया और ऑपरेशन।

(30) डाई और डाई उत्पाद तथा उनके माध्यम

(31) अत्यधिक ज्वलनशील तरल पदार्थ और गैसें

(32) रसायन विनिर्माण, संचयन और आयात नियम, 1989 की अनुसूची -I के भाग-II में यथाविनिर्दिष्ट जोखिम रसायन की प्रहस्तन और प्रकमण में निहित प्रक्रिया है।

(33) बूचडखानों और कसाईखानों में कार्य

(34) रेडियोधर्मी पदार्थ के प्रभाव में डालने वाले कार्य और इससे संबंधित प्रक्रियाएं

(35) पोत विभंजन;

(36) नमक खनन या नमक बनाने का कार्य;

(37) भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार (रोजगार का विनियमन एवं सेवा-शर्तें) केन्द्रीय नियम 1998 की अनुसूची-ix में विनिर्दिष्ट जोखिमपूर्ण प्रक्रियाएं ।

(38) तम्बाकू निर्माण, पेस्टिंग और ढुलाई या किसी औषधि अथवा नशीला पदार्थ या खाद्य प्रसंस्करण और बेवरीज उद्योग में किसी भी रूप में अल्कोहल और बार, पब पार्टियों और इसी प्रकार के अवसरों में काम करना जिनमें अल्कोहल पदार्थ परोसा जाता है।

अनुबंध-II

खिमपूर्ण व्यवसायों में बाल श्रमिकों के संबंध में श्री जगदम्बिकापाल और श्री गौतम गंभीर द्वारा दिनांक 08.07.2019 को पूछे जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2309 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

अधिनियम के अंतर्गत प्रतिषिद्ध व्यवसायों और प्रक्रियाओं की सूची जहां परिवार अथवा पारिवारिक उद्यम में बच्चों को सहायता के लिए प्रतिषिद्ध किया गया है (भाग क के अतिरिक्त)

व्यवसाय

निम्नलिखित से संबंधित कोई व्यवसाय-

(1) रेलों द्वारा यात्रियों, माल और डाक को इधर उधर ले जाना;

(2) रेलवे परिसरों में निर्माण कार्य करना, अंगारों या राख से कोयला बीनना अथवा राख के गड्ढे को साफ करना;

(3) रेलवे स्टेशन पर बने हुए भोजनालयों में काम करना, इसमें किसी कर्मचारी अथवा विक्रेता द्वारा किया गया ऐसा कार्य भी शामिल है जिसमें एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर आना जाना अथवा चलती रेलगाड़ी से चढ़ना उतरना पड़ता है;

(4) रेलवे स्टेशन के निर्माण से संबंधित काम या कोई ऐसा काम जो रेल लाइनों के निकट या उनके बीच में किया जाना हो;

(5) किसी पत्तन की सीमाओं के भीतर कोई पत्तन प्राधिकरण;

(6) ओटोमोबाइल वर्कशॉप और गैराज;

(7) हथकरघा एवं पावरलूम उद्योग

(8) प्लास्टिक इकाइयाँ एवं फाइबर ग्लास वर्कशॉप;

(9) घरेलू कामगार अथवा नौकर;

(10) ढाबे (सड़क किनारे की खाने-पीने की दुकानें), रेस्टोरेंट, होटल, मोटल, रिसॉर्ट, अथवा

(11) गोताखोरी।

(12) सर्कस में कार्य।

(13) हाथियों की देखभाल।

(14) विद्युतचालित बेकरी मशीन, अथवा

(15) जूता निर्माण

प्रक्रियाएं

(1) कालीन बुनाई जिसमें इसकी शुरूआती और इससे जुड़ी प्रक्रिया शामिल है

(2) सीमेन्ट बनाने से लेकर बोरियों में भरने तक

(3) कपड़ा छपाई, रंगाई और बुनाई जिसमें इसकी शुरूआती और इससे जुड़ी प्रक्रिया शामिल है

(4) लाख/शीलैक विनिर्माण

(5) साबुन बनाना

(6) ऊन की सफाई;

(7) भवन और निर्माण उद्योग जिसमें ग्रेनाइट पत्थरों का प्रसंस्करण और पॉलिश किया जाना तथा ढुलाई एवं संग्रहण, बढ़ईगिरि, राजमिस्त्री का कार्य शामिल है;

(8) स्लेट पैंसिल का निर्माण (पैकिंग सहित);

(9) अगेट के उत्पादों का निर्माण कार्य;

(10) काजू और काजू के छिलके उतारने की प्रक्रिया;

(11) इलैक्ट्रोनिक उद्योग में धातु की सफाई, चित्र की नक्काशी एवं टांका लगाने(सोल्ड्रिंग) की प्रक्रिया

(12) 'अगरबत्ती' का निर्माण;

(13) आटोमोबाईल मरम्मत और रख-रखाव जिसमें इसकी शुरूआती और इससे जुड़ी प्रक्रिया शामिल है, वैल्डिंग इकाइयाँ लेथवर्क डेन्टिंग एवं पेन्टिंग;

(14) ईंटों या खपरैलों का निर्माण;

(15) रूई सूत की ओटाई और इसे दबाना, हौजरी का सामान बनाना;

(16) डिटरजेंट का निर्माण;

(17) फैबरिकेशन वर्कशॉप (फेरस एवं नान फेरस);

(18) रत्न तराशना और उनकी पालिश करना;

(19) क्रोमाइट और मैंग्नीज अयस्कों का रख-रखाव;

(20) जूट के कपड़ों का निर्माण और कॉयर निर्माण;

(21) चूना भट्टा और चूना निर्माण;

(22) ताला बनाना;

(23) ऐसी कोई विनिर्माण प्रक्रियाएं जिसमें सीसा का उच्छादन होता है जैसे सीसा लैपित धातु को पहली बार या दूसरी बार गलाया जाना, वैल्डिंग और कटाई करना, गल्वनीकृत या जिंक सिलिकेट, पोलीविनाइल क्लोराइड की वैल्डिंग करना, क्रिस्टल ग्लास मास का मिश्रण(हाथ से) करना, सीसा पेन्ट की बालू हटाना या खुरचना, इनैमलिंग वर्कशॉपों मे सीसे का दाहन, खान सीसा निकालना, नलसाजी, केबल बनाना, तार बिछाना, सीसा ढलाई, मुद्रणालयों में अक्षर की ढुलाई, छर्रे बनाना, सीसा कांच फुलाना;

(24) सीमेन्ट पाइप तथा सीमेन्ट उत्पाद और सीमेंट की अन्य वस्तुएं बनाना;

(25) काँच, कॉच के वर्तनों का निर्माण जिसमें चूड़ियाँ टयूबों, बल्ब तथा इसी प्रकार के अन्य कॉच उत्पाद शामिल हैं;

(26) कीटनाशकों का निर्माण और उनका रख-रखाव;

(27) जंग लगने वाले तथा विषैले पदार्थों का निर्माण जिसमें धातु साफ करना, फोटो उत्कीर्णन तथा टांका लगाना शामिल है;

(28) जलाऊ कोयला और कोयला इष्टिकाओं का निर्माण;

(29) खेल-कूद की ऐसी वस्तुओं का निर्माण जिसमें सिन्थैटिक सामग्री, रसायन और चमड़े का उच्छादन शामिल है;

(30) तेल की पिराई और परिष्करण;

(31) कागज बनाना;

(32) चीनी मिट्टी के बरतन और सिरेमिक उद्योग;

(33) पीतल की सभी प्रकार की चीजों का निर्माण जिसमें पीतल की कटाई, ढलाई, पालिश और वैल्डिंग शामिल है;

(34) ऐसी कृषि प्रक्रियाएं जहाँ फसल को तैयार करने में ट्रैक्टरों, फसल की कटाई और गहाई में मशीनों का प्रयोग किया जाता है;

(35) आरा मिल- सभी प्रक्रियाएं;

(36) रेशम उद्योग प्रक्रिया

(37) चमड़े के सामान के निर्माण हेतु स्किनिंग, रंगाई और प्रसंस्करण प्रक्रियाएं;

(38) टायर निर्माण, मरम्मत,री-ट्रीडिंग और ग्रेफाइट सज्जीकरण;

(39) बर्तन बनाना, पालिश करना और धातु की बफिंग करना;

(40) 'जरी' निर्माण तथा जरी के उपयोग से जुड़ी (सभी प्रक्रियाएं);

(41) ग्रेफाइट पाउडर तैयार करना और उससे जुड़ी प्रक्रिया;

(42) धातुओं की घिसाई या उन पर कांच चढ़ाना;

(43) हीरों की कटाई और पालिश;

(44) कचरा उठाना और कबाड़ एकत्र करना;

(45) मशीनीकृत मछली पालन;

(46) खाद्य प्रसंस्करण;

(47) पेय पदार्थ उद्योग;

(48) मसाला उद्योग के अंतर्गत मसालों की खेती, छंटनी, सुखाना एवं पैंकिंग करने का कार्य;

(49) लकड़ी प्रहस्तन और ढुलाई;

(50) लकड़ी की यांत्रिक कटाई;

(51) भंडारागार कार्यकलाप;

(52) मसाज पार्लर जिमनेजियम अथवा अन्य मनोरंजक अथवा मेडिकल सुविधाएं केन्द्र;

(53) खतरनाक मशीनों के निम्नलिखित वर्गों से संबंधित प्रचालनों में -

(क) उत्तोलक एवं लिफ्ट

(ख) मशीनों को चढ़ाने, चैनों, रस्सियों एवं उत्तोलक विधि से जुड़ा कार्य

(ग) घूमने वाली मशीनें

(घ) विद्युत प्रक्रिया

(ङ) मेटल ट्रेड से ज़डे मशीने टूल्स

(54) कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) के उप-खंड (iv) में मुद्रण के अनुसार अर्थात छपाई के लिए अक्षर निर्माण, लेटर प्रैस द्वारा छपाई, पाषाण छपाई, फोटोग्रेवर अथवा अन्य समान प्रक्रिया अथवा बुक बाइंडिंग का कार्य"।

****